संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)71/83–खण्ड–4–3240–3241
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

प्रेषक :

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेषित :

निदेशक,
अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण,
एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,
जिला कुल्लू, हि0प्र0

विषय : **अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,के खाद्य लेखों तथा (WHMI) सोसाईटी के लेखों के अेंकक्षण प्रतिवेदन के बारे में**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली,के खाद्य लेखों तथा (WHMI) सोसाईटी के लेखों के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्या :– यथोपरि– दिनांकः30.05.2016, शिमला–1710009
प्रतिलिपि :–अतिरिक्त सचिव (युवा सेवाएं एवं खेल) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली की वेस्टर्न हिमालयन माउंटेनियरिंग इस्टीटूट (WHMI) सोसाईटी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2015

भाग—एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान के निदेशक एवं आहरण/संवितरण अधिकारी के पदों पर कार्यरत रहे।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री ईन्द्र देव शर्मा	आहरण/संवितरण अधिकारी	1.4.13 से 27.11.14
2	कैप्टन रणधीर सिंह सलूहरिया	निदेशक एवं आहरण/संवितरण अधिकारी	28.11.14 से अब तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	6	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	14.15
2	7	अत्याधिक हस्तगत राशि	विवरण पैरे में दिया गया है

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्थान द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों के निपटारे हेतु आवश्यक कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को भेजे जाने सुनिश्चित किए जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/2002 से 3/2013

1	पैरा 2	निर्णीत	
2	पैरा 3(क)(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3(क)(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3(क)(iii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 3(ग)(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
6	पैरा 3(घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5	अनिर्णीत	
9	पैरा 6	अनिर्णीत	
10	पैरा 7	आंशित निर्णीत	(श्री रेलू राम ठाकुर द्वारा कुल ₹118932 में से ₹112079 दिनांक 10.9.14 को जमा की गई शेष की वसूली शीघ्र की जाए)
11	पैरा 8	अनिर्णीत	
12	पैरा 9	अनिर्णीत	

13	पैरा 10	निर्णीत	(संशोधित पैरा पुनः प्रारूपित)
14	पैरा 11	अनिर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 13	अनिर्णीत	
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	अनिर्णीत	
19	पैरा 16	अनिर्णीत	
20	पैरा 17(i)से(xxvi)	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली की वेस्टर्न हिमालयन माउटेनियरिंग इंस्टीटूट (WHMI) सोसाईटी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 2.12.2015 से 23.12.2015 के दौरान मनाली में किया गया, जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिए गए हैं। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 10/13 व 7/14 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 7/13 व 3/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई अभिलेख एवं सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

WHMI सोसाईटी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹16000 किया गया। संस्थान द्वारा **(WHMI)** सोसाईटी के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क की राशि को खाद्य लेखों के अंकेक्षण शुल्क के साथ संकलित करके भेज दिया गया है, जिसका ब्यौरा खाद्य लेखों के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान द्वारा प्रस्तुत संस्थान की (WHMI) सोसाईटी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "(क)"** पर भी दिया गया है।

	2013—14	2014—15
प्रारम्भिक शेष	13704241	190119120
वर्ष में प्राप्ति	10529580	14237523
कुल	24233821	33256643
वर्ष में भुगतान	5214701	4398304
अन्तशेष	190119120	28858339

(ख) दिनांक 31.3.2015 को संस्थान की (WHMI) सोसाईटी के लेखों का मिलान एवं समाधान निम्न प्रकार से पाया गया :—

(i)	कांगड़ा कोओपरेटिव बैंक मनाली खाता संख्याः 50060398531 में दिनांक 31.3.15 को जमा राशि		4316367
	जमाः— दिनांक 31.3.15 को रोकड़ वही में हस्तगत राशि (वास्तविक हस्तगत ₹20047 है, नोटः पैरा 4(घ)(iv) में वर्णित)		(+)50042
	जमाः—(i) 31.3.15 तक चैक जारी किए, लेकिन बैंक द्वारा भुनाए नहीं गए (**परिशिष्ट—"1(A)"**)	15781995	
	माईनसः—(ii)FDRs के लिए चैक जारी करके भुनाया गया, लेकिन रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं की गई	(—)14000000	
	कुल		(+)1781995
	जमाः—(i)दिनांक 31.3.15 को सावधिक जमा (Old FDRs)	14222295	
	(ii)दिनांक 31.3.15 को सावधिक जमा (New FDRs)	14000000	
	कुल सावधिक जमा		**28222295**
	माईनस :— आय की राशि तथा चैक जमा किए गए, लेकिन बैंक द्वारा दिनांक 31.3.15 तक प्रविष्ट नहीं की गई तथा ब्याज व आय की प्रविष्टियां रोकड़ वही में नही की (**परिशिष्ट—"1(B)"**)		(—)2995203
	कुल		31375496
	वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष		**28858339**
		अन्तर	**(—)2517157**

नोटः— गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/2002 से 3/2013 में ₹2517157 का अन्तर है, जिसका समाधान अभी तक नहीं किया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित अन्तर का समाधान करके इस विभाग को अविलम्ब सूचित किया जाए।

(ग) उपरोक्त समाधान विवरणी तथा **परिशिष्ट—"I A"** में दर्शित ₹1.40 करोड़ के चैक दिनांक

19.1.2015 को सावधिक जमा निवेश हेतु जारी किए गए, लेकिन इनकी प्रविष्टियां रोकड़ वही में नहीं की गई, जो एक गम्भीर अनियमितता है। यद्यपि यह राशि निवेश के परिशिष्ट में

सम्मिलित कर ली गई, तदापि रोकड़ वही के रख–रखाव में उचित पर्यावेक्षण की आवश्यकता है।

(घ) इसके अतिरिक्त रोकड़ वही व बैंक खातों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका समाधान किया जाएः–

(i) संस्थान द्वारा **परिशिष्ट– I "A"** में दिए गए विवरणानुसार कुछ राशियों के Cheques in hand दर्शाए गए हैं तथा कुछ राशियों बैंक चार्जिज के रूप में दर्शाई गई है, परन्तु इन राशियों के बारे में संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः इन समस्त राशियों की संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके तथा नियमानुसार इनका लेखांकन करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) संस्थान द्वारा **परिशिष्ट– I "B"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2995203 के Out Standing Cheques तथा कुछ राशियां TDS एवं Interest इत्यादि के रूप में दर्शाई गई है, परन्तु इन राशियों के बारे में संस्था द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः इन समस्त राशियों की संस्थान स्तर पर आन्तरिक जांच करके तथा नियमानुसार इनका लेखांकन करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) संस्थान के सोसाईटी लेखों के बैंक खाते व रोकड़ वही की जांच करने पर यह भी पाया गया कि निम्न चैक बैंक खाते से आहरित किए गए, लेकिन रोकड़ वही में न तो इनका ईन्द्राज किया गया था और न ही अंकेक्षण के समय वाउचर प्रस्तुत किए गए।

क्र0 सं0	चैक संख्या / व्यय	दिनांक	राशि
1	276980	19.7.14	28084
2	277005	14.8.14	9812
3	277006	19.8.14	13000
4	277020	21.11.14	6921
5	–	27.10.14	500
6	–	25.11.14	500
7	–	25.11.14	500

(iv) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान रोकड़ वही की जांच करने पर 31.3.15 को हस्तगत ₹50042 बनती थी, लेकिन वास्तविक में दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत ₹20047 दर्शाई गई। इस सन्दर्भ में विस्तृत जांच के बाद पाया गया कि दिनांक 4.7.2014 को हस्तगत ₹698846 थी, जिसमें ₹37524 का व्यय दर्शाकर शेष ₹631322 दर्शाई गई, जबकि शेष हस्तगत ₹661322 होनी चाहिए, जिस कारण शेष में ₹30000 कम दर्शाई गई। इसी प्रकार दिनांक 9.6.2014 को हस्तगत ₹618273 थी, लेकिन यह ₹5 अधिक अर्थात ₹618278 दर्शाई गई, जिस कारण हस्तगत राशि में कुल अन्तर ₹30000 (–) ₹5=₹29995 को पाया गया,

जोकि बैंक समाधान में भी दर्शाया गया था। अंकेक्षण की आपत्ति के दौरान यह ₹29995 रसीद संख्या 385, दिनांक 23.12.2015 को जमा कर दी गई। अतः भविष्य में इस प्रकार के त्रुटियों से बचने हेतु उचित कदम उठाए जाएं।

5 निवेश

(WHMI) सोसाईटी द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान किए गए सावधि जमा योजना में निवेश की स्थिति **परिशिष्ट–"II"** पर संलग्न है। संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में किए निवेश की जांच करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित है।

(क) संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में ₹28222295 निवेशित की गई दर्शाई गई है, जोकि संस्थान के खातों में दर्शाई गई राशि से मेल नहीं खाते हैं। उक्त परिशिष्ट के प्रथम दृश्य अवलोकन में ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा इन FDRs का नवीनीकरण करके इन्हें पुनः निवेशित कर दिया गया है, परन्तु वित्तीय स्थिति में FDRs की मूल राशियों को ही सम्मिलित किया गया है। अतः FDRs के नवीनीकरण के उपरान्त भी पुनः निवेशित राशियों के स्थान पर वित्तीय स्थिति में मूल राशियों को ही सम्मिलित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि अभिलेख की जांच से ऐसा भी प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा इन FDRs के नवीनीकरण के समय प्राप्त ब्याज को रोकड़ वही में सम्मिलित नहीं किया गया, तदानुसार ब्याज की राशियों को भी वित्तीय स्थिति में भी सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त पूरे प्रकरण की संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके वास्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा FDRs पर अर्जित ब्याज की राशियों का भी ठीक ढंग से लेखांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान जांच में यह भी पाया गया कि अधिकतर FDRs का नवीनीकरण परिपक्वता दिनांक से 4 से 8 माह बाद किया गया है, परन्तु देरी से किए नवीनीकरण का ब्याज बैंक द्वारा प्रदान किया गया है अथवा नहीं इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अतः उक्त में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

6 अस्थाई अग्रिम की ₹14.15 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

(क) (WHMI) सोसाईटी के लेखों/अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा समय–समय पर अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था। उक्त अग्रिमों में से दिनांक 31.3.2015 तक निम्नलिखित राशियां का समायोजित नहीं किया गया था।

Sr. No.	Name	Amount
1	Mrs. Dicky Dolma	5000

2	Direelir commercial Account	150000
3	Executive engineer IPH Kullu	445
4	Sh. Gautam Lal	1500
5	H.P. Winter Games Assocition	300000
6	Incharge, Sub Center Bharmour	150000
7	Incharge wahi sports Pong Dam	398600
8	Sr. & S.K Championship	214199
9	Sh. Kishori Lal	16000
10	Sh. Krishen Doyal	7000
11	Sh. Narayan Dutt Instructor	100000
12	Sh. Ramesh Chand	10769
13	Incharge Pong Dam	61750
	Total	**1415263**

इस प्रकार उपरोक्त अग्रिम की ज्यादातर राशियां गत कई वर्षों से समायोजन हेतु शेष पाई गई हैं। अतः अग्रिमों राशियों के आहरण की दिनांक को अंकित किया जाए ताकि इनका यथाशीघ्र समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा लैजर व Trial Balance तैयार नहीं किए हैं, जिस कारण अग्रिमों के प्रदान करने व समायोजन में निम्न अन्तर पाया गया है।

गत प्रतिवेदन दिनांक 31.3.13 को शेष अग्रिम (पैरा 10)	1588068
वर्ष 2013—14 व 2014—15 में प्रदान अग्रिम (₹270780+₹162644)	(+)433424
कुल	**2021492**
वर्ष 2013—14 व 2014—15 में समायोजित किए गए अग्रिम	(—)516788
दिनांक 31.3.2015 को दर्शाए गए असमायोजित अग्रिम	1504704
उपरोक्त विवरणानुसार संस्थान द्वारा दर्शाए गए समायोजित अग्रिम	(—)1415263
अन्तर	**89441**

अतः लैजर व Trial Balance को तैयार करने के अतिरिक्त अग्रिमों में ₹89441 के अन्तर बारे स्थिति भी स्पष्ट करके अग्रिमों के शेषों का मिलान किया जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत की जाए।

7 रोकड़ वही में जरूरत से ज्यादा हस्तगत राशि रखने बारे

(WHMI) सोसाईटी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा रोकड़ वही में जरूरत से ज्यादा हस्तगत राशिया रखी गई है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः आवश्यकता से अधिक हस्तगत राशियां रखने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हस्तगत के रूप में कम से कम राशि रखी जाए। हस्तगत राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः—

माह	2013—14	2014—15
अप्रैल	350717	533836
मई	369917	617073
जून	384937	628841
जुलाई	398357	661317

अगस्त	406607	672533
सितम्बर	429957	686493
अक्तुबर	441957	647149
नवम्बर	450077	613010
दिसम्बर	465366	567946
जनवरी	484739	464946
फरवरी	504862	386142
मार्च	503836	50042

8 विज्ञापनों पर ₹3978 का अनुचित भुगतान करना

मै. अमर उजाला पब्लिकेशन चण्डीगढ़ को ₹3978 का भुगतान संस्थान द्वारा रोकड़ वही के पृष्ठ 38 पर दिनांक 14.10.2014 को विज्ञापन के बिल हेतु किया गया। यह विज्ञापन हि0प्र0 राज्य परिवहन, बिलासपुर की बसों की समय सारणी हेतु था, जिसका सोसाईटी से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः उक्त भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल किया जाए।

9 **अन्य विविध अनियमितताएंः–** (WHMI) सोसाईटी के लेखों की जाचं करने पर निम्नलिखित अन्य विविध अनियमितताएं भी पाई गई, जिनका निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार गत 4 से 5 वर्ष के पुराने वाउचरों को माह 3/2015 में नगद भुगतान दर्शाकर हस्तगत राशि कम की गई।

क्र0 सं0	वाउचर	राशि	रोकड़ वही में दर्ज भुगतान दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ	अन्य विवरण
1	M/ Roll No. 4027 of 3/11	14880	11.3.15	100 व 101	पुराने पोर्टर
2	M/ Roll No. 4026 of 3/11	7440	11.3.15	101	–यथोपरि–
3	Scholership of 9/12	8776	11.3.15	101	–
4	Purchase of service stamps 1/11	10000	11.3.15	101	(Entry of stamps not shown)
5	Telephone Bills 12/10,1/11 of 11/13	2686	11.3.15	101	(APR's not Produced)
6	Telephone Bills				
	3/14	247	11.3.15	102	(APR's not Produced)
	1/11	121	11.3.15	102	
	12/10	363	11.3.15	102	
	12/10	872	11.3.15	102	
	12/10	429	11.3.15	102	(Old APR's Seen)
	12/10	1360	11.3.15	102	
7	M/Rolls Car ???? 12/10	10447	11.3.15	103	–
8	-do-11/10	19530	11.3.15	103	–
9	M/Roll No. 4011 of	11160	11.3.15	104	Old Porters

	1/11				
10	M/Roll No. 4019 of 2/11	10080	11.3.15	104	Old gatemen
11	M/Roll No. 4006 of 1/11	11160	11.3.15	104	-do-
12	M/Roll No. 4004 of 1/11	7440	11.3.15	105	Old Sweeper
13	Petty Purchase 2/11	1013	11.3.15	106	—
14	M/Roll No. 4025 of 3/11	11160	11.3.15	106	Old Sweeper + porter
15	M/Roll No. 4028 of 3/11	11160	11.3.15	107	Old gate keeper

अंकेक्षण में चर्चा के दौरान बताया गया कि उपरोक्त वाउचर गुम हो गए थे, जिस कारण हस्तगत राशि ज्यादा थी, लेकिन बाद में वाउचर मिलने के बाद इनकी प्रविष्टि की गई है। उपरोक्त वाउचरों में निम्न टिप्पणियां अपेक्षित हैं।

(i) प्रत्येक वाउचर में जांच के उपरान्त प्रमाण पत्र दिया जाए कि उपरोक्त वाउचर का पहले कभी भुगतान नहीं किया गया है।

(ii) दूरभाष बिलों की वास्तविक भुगतान रसीदें व शासकीय डाक टिकटों का ईन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख में करके इन्हें आगामी परीक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) संस्थान द्वारा निम्न विवरणानुसार फर्मों सेएक्यूपमैण्टस की खरीद की गईः—

क्र0 सं0	फर्म का नाम	भुगतान दिनांक	विवरण	राशि
1	M/s Ram Lal & Son's Manali	25.11.13	31 pair approach March Boot@ 3600+Vat9%	121644
2	M/s Feamal Compainig Shamshi	25.11.13	8 No's Canvas Tent 8 Radions@ 27500+Vat 5%	231000
3	M/s Trekko Requipement Delhi	25.11.13	470 No's Inner Fleece for Sleeping Bags@ 500+Vat 5%	246750

उपरोक्त खरीद निविदाओं के आधार पर की गई दर्शाई गई है, लेकिन खरीद से सम्बन्धित निविदाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिन्हें आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) (WHMI) सोसाईटी के आय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सोसाईटी के लेखों में विभिन्न प्रकार के सामान से सम्बन्धित जो वसूली की गई दर्शाई गई थी, उनकी विवरणी व स्टोर स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0 सं0	माह	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	विवरण	राशि
1	10/13	56	उपकरणों के किराए की वसूली	43140
2	10/13	56	स्टोर के सामान की वसूली	6525
3	10/13	57	स्टोर के सामान की वसूली	3900
4	10/13	57	स्टोर के सामान की वसूली	36400

(घ) रोकड़ वही के पृष्ठ 2 पर माह 4/2014 के दौरान ₹61750 का भुगतान मै. Chilli Adventure, देहरादून को 15 दिनों की स्टॉफ ट्रेनिंग हेतु किया गया। उक्त व्यय से सम्बन्धित व ट्रेनिंग हेतु भेजे कर्मचारियों की सूची तथा व्यय से सम्बन्धित अन्य कौडल औपचारिकतताएं पूर्ण करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ.) संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 को अग्रिम ₹100894 का समायोजन किया गया। यह अग्रिम राशि 24.9.2007 को आहरित करके इस व्यय दिनांक 8.1.2008 से 15.1.2008 तथा 1. 4.2008 से 14.4.2008 के दौरान जिस्पा में स्कीईंग हेतु किया गया था। अतः 7 वर्षों के बाद वाउचरों को समायोजन हेतु प्रस्तुत करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त उक्त स्कीईंग में कितने प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया व प्रतियोगियों द्वारा कितनी राशि जमा की गई, इस बारे भी अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अग्रिमों के समायोजन का सम्बन्धित रजिस्टर में ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 Bye Laws of (WHMI) **Society**

सोसाईटी के उप नियम बनाने हेतु संस्थान द्वारा "District Magistrate cum Additional Register of Societies, Kullu" से अनुरोध किया गया, जिनको Distt Magistrate Kullu द्वारा पत्रांक 426 दिनांक 8.2.2012 द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ संस्थान को लौटा दिया **(परिशिष्ट "III")** लेकिन संस्थान द्वारा आपत्तियों के निपटारे व उप नियम बनाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

12 निष्कर्षः— लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.